# कार्यालय :– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail :- apccf-campa@gov.in, Phone No. 0651-2481466

पत्रांक : 19M(04)CAMPA(2020-21)- 351 दिनांक : 07.09.2020

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल, गिरिडीह/ देवघर वन प्रमण्डल, देवघर/ दुमका वन प्रमण्डल, दुमका/ गुमला वन प्रमण्डन, गुमला/ सिमडेगा वन प्रमण्डल, सिमडेगा।

विषय :– **झारखण्ड कैम्पा वार्षिक कार्य योजना 2020–21 अन्तर्गत कार्यान्वित की जाने वाली "एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना" के अंतर्गत विभिन्न कार्यों हेतु कुल 1183.63518 लाख (इग्यारह करोड़ तिरासी लाख तिरसठ हजार पाँच सौ अठारह रूपये) मात्र का ऑन लाईन उप–आवंटन (Online Sub- Allotment) I**

प्रसंग:– 1. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या – 04/कैम्पा–04/2020 – 06/स्वी0 व0प0 राँची, दिनांक 23.07.2020 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या – 04/कैम्पा–04/2020 – 02/आ0 व0प0 राँची, दिनांक 24.07.2020 तथा विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या – 04/कैम्पा–04/2020 – 10/स्वी0 व0प0 राँची, दिनांक 13.08.2020 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या – 04/कैम्पा–04/2020 – 22/आ0 व0प0 राँची, दिनांक 13.08.2020 तत्संबंधी कार्यालय आदेश संख्या 51 ज्ञापांक 04/कैम्पा–04/2020 – 2450 दिनांक 18.08.2020 एवं पत्र संख्या – 4/कैम्पा–04/2020–2704 व0प0 राँची दिनांक 01.09.2020

2. इस कार्यालय का पत्रांक 245 दिनांक 26.06.2020, पत्रांक 267 दिनांक 08.07.2020, ज्ञापांक 293 दिनांक 28.07.2020 एवं ज्ञापांक 347 दिनांक 03.09.2020

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष–2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष– 04–वनरोपण तथा पारिस्थितिकी विकास, लघु शीर्ष –103– राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण, **उप शीर्ष– 04–एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना**" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में विभिन्न कार्यों हेतु अनुमान्य देय राशि उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में से **कुल 1183.63518 लाख (इग्यारह करोड़ तिरासी लाख तिरसठ हजार पाँच सौ अठारह रूपये) मात्र** का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:–

| प्राथमिक इकाई | विपत्र कोड | (राशि लाख में) |
|---|---|---|
| मजदूरी | 19S240604103040103 | 710.18111 |
| आपूर्ति एवं सामग्री | 19S240604103040323 | 473.45407 |
| कुल :– | | **1183.63518** |

2. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप आवंटन आदेश के **अनुलग्नक–1** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/उप–कोषागार से की जायेगी। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार परियोजना की विवरणी **अनुलग्नक–2** एवं ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक–3** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना के उपरोक्त कोड संख्या को कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा।

4. योजना का कार्यान्वयन प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची से सम्बन्धित स्वीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना पर अनुमोदन प्राप्त कर ही प्रारम्भ किया जायेगा।

राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 में कार्यान्वित की जानेवाली कैम्पा वार्षिक कार्य योजना के क्रियान्वयन हेतु निर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या – 04/कैम्पा–04/2020–06/स्वी0 दिनांक 23.07.2020 में अधिरोपित सभी शर्तों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा, जो निम्नवत है :–

5. (I) स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय–समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्रों के अनुरूप की जायेगी।

(II) राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप–कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम – 174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।

(III) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।

6. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची होंगे।

7. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण एवं तकनीकी पक्षों पर कार्यान्वयन प्रभाग/कार्यान्वयन एजेन्सी का मार्गदर्शन करना सुनिश्चित करेंगे। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा नियंत्री पदाधिकारी को सहयोग करेंगे एवं निम्न कार्य पर विशेष ध्यान करेंगें –

(II) योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा।

(III) नियमित रुप से राशि का व्यय, समायोजन तथा प्रमंडलीय लेखा में प्रवृष्टि की भी समीक्षा करेंगे। ससमय लेख प्रेषण सुनिश्चित करने की समीक्षा की जायेगी।

(IV) नियमित निर्धारित अन्तराल पर सभी आवश्यक समीक्षा एवं नियमावली में अंकित बैठकों का आयोजन सक्षम स्तर पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा, झारखण्ड कराना सुनिश्चित करेंगे। यह online video conferencing इत्यादि के माध्यम से भी की जा सकेगी।

(V) भारत सरकार को आवश्यक प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जायेगा।

(VI) ऐसी कार्यान्वयन एजेन्सी जिनका कार्य संतोषप्रद न हो तथा जहाँ आवश्यक सुधार की आवश्यकता हो, तद्नुसार निर्देश अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा निर्गत करें। जहाँ नियंत्री पदाधिकारी के हस्तक्षेप की आवश्यकता हो, उनका ध्यान आकृष्ट किया जाय।

(VII) गत तीन वर्षों की योजना की 100% प्रवृष्टि e-green watch portal पर की गई है, इसका सत्यापन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा सुनिश्चित करायेंगे, इसकी monitoring करेंगें। JSAC इत्यादि के सहयोग की आवश्यकता हो तो इसे प्राप्त करें।

8. Monitoring: विभिन्न कंडिकाओं में अंकित निर्देशों के साथ–साथ निम्न व्यवस्था भी की जायेगी:–

(क) योजना का सामाजिक अंकेक्षण पूर्व तीन वर्षों का कराया जाय। वित्तीय वर्ष 2020–21 से नियमित रुप से सामाजिक अंकेक्षण कराया जायेगा।

(ख) तृतीय पक्ष मूल्यांकन (वाह्य मूल्यांकन) प्रतिष्ठित संस्थान से कराया जाय।

(ग) विभागीय स्थापित monitoring के अतिरिक्त राज्य सरकार monitor, भारत सरकार के पैटर्न पर योजना monitoring के लिए अधिकृत कर सकती है।

9. (I) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन 100% निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(II) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण निर्धारित 100% भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरुप करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा।

(III) निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा, झारखण्ड) को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

(IV) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी sub-disbursal से भुगतान ब्यौरा प्राप्त करके उसका सत्यापन कर सकेंगे। मस्टर रोल में बैंक account no. के साथ फोन नम्बर (यथा सम्भव) भी एकत्र किया जाय।

(V) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा द्वारा सूचित किया गया है कि योजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्रदत् है। तकनीकी स्वीकृति के साथ प्रावकलन, योजना सूची संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी को अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

(VI) योजना का संक्षिप्त ब्यौरा e-green watch पर नियमित रुप से updated किया जायेगा तथा इसकी समीक्षा की जायेगी।

(VII) सभी भुगतान DBT या सीधे बैंक खाते में श्रमिकों तथा सामग्री आपूर्ति कर्त्ता को किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।

(VIII) बैंक स्टेटमेंट भी sub-disbursal का साक्ष्य मस्टर रोल/भाउचर के साथ प्राप्त कर लें ताकि नियमित भुगतान की समीक्षा की जा सके।

(IX) Income tax (IT)/ Service Tax (GST/VAT)/ Mines Royality के तहत जहाँ at-source कटौती करना है, यह कटौती DDO/sub-disbursal सुनिश्चित करेगें तथा ससमय return जमा करेगें।

(X) कंडिका–IX के उल्लंघन में व्यक्तिगत दोष DDO का होगा।

10. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरुप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

(II) सभी यंत्र–संयत्र, मशीन उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय नियमों के अनुपालन पश्चात् मशीन उपकरण एवं सामग्रियों का क्रय e-GEMS से किया जाय।

(III) वैसे यंत्र–संयत्र एवं मशीन उपकरण जिनका क्रय e-GEMS के माध्यम से नहीं हो सकता है, उनका क्रय निविदा आमंत्रित करके की जाएगी।

11. COVID-19 के रोकथाम के संबंध में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का यह दायित्व रहेगा कि जहाँ–जहाँ मजदूरों से कार्य लिया जायेगा उनसे Social distancing तथा उनके मास्क का प्रयोग अनिवार्य रखा जायेगा। हैन्डवाश इत्यादि की समुचित व्यवस्था की जाय।

(II) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अभियान का अंग है। अनुमोदित APO के अधीन हजारीबाग, गिरीडीह, गोड्डा में इनका कार्यान्यन किया जा रहा है।

(III) कंडिका–11 (II) की monitoring भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जा रहा है। कंडिका–II में अंकित पदाधिकारी इस कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी इस योजना के अधीन रहेंगे।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक–1204 दिनांक– 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं कंडिका–9 के निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा। इस संबंध में कंडिका 9 (IV) एवं (VIII) संयुक्त रूप से प्रभावी रहेगी।

13. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा को तुरंत देंगें। नियंत्री एवं निकासी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगें कि योजना में निहित कार्यों का दोहरीकरण न हों। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा के निर्देशों का पालन किया जाय।

14. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या–940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी। इस संबंध में कंडिका 10 (IV) एवं 9 (VII) का भी अनुपालन किया जायेगा।

15. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का संपादन विभागीय अधिसूचना संख्या–2371 दिनांक 05.05.2015 में निरुपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जानेवाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं0–2371 दिनांक 05.05.2015 में निरुपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरुप किया जायेगा तथा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–सह–ज्ञांपाक–686, दिनांक–05.02.2016 द्वारा विभाग के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों तथा सेवाओं के लिए गठित Procurement Committee की अनुशंसा के अनुरुप कार्रवाई की जायेगी।

16. प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम–2016 एवं प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली–2018 में निहित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

17. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

18. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक–3542, दिनांक–19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरुप किया जायेगा ।

इस आवंटन आदेश में उल्लिखित शर्त्तों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व उनके संबंधित वन संरक्षक/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक का होगा।

**अनुलग्नक :– यथोक्त।**

विश्वासभाजन,

07.09.2020

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
कैम्पा, झारखण्ड, राँची।

07/09

ज्ञापांक– 19M(04)CAMPA(2020-21)- 351 दिनांक– 07.09.2020

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो/ दुमका/ राँची/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गिरिडीह/ देवघर/ दुमका/ गुमला/ इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

07.09.2020

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
कैम्पा, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक– 19M(04)CAMPA(2020-21)- 351 दिनांक– 07.09.2020

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, गिरिडीह/ देवघर/ दुमका/ गुमला/ सिमडेगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

07.09.2020

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
कैम्पा, झारखण्ड, राँची।

अनुलग्नक – 1

## झारखण्ड कैम्पा

### वार्षिक कार्य योजना 2020–21 : उप शीर्ष "04–एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना"

(मजदूरी दर : रू० 257.29 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

| क्र० सं० | निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम | एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | कार्य विवरणी | मजदूरी | आपूर्ति एवं सामग्री | कुल राशि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | वन प्रमण्डल पदाधिकारी, देवघर वन प्रमण्डल, देवघर | डी०आर०डी०ओ० परियोजना के अन्तर्गत जल स्रोतों का डीसिल्टेशन एवं पुनरुद्धार, वन संवर्धन कार्य, ग्रामों में जागरूकता अभियान, ग्रामीणों की क्षमता विकास वेटनरी कैम्प का आयोजन, मेडिकल कीट का वितरण इत्यादि कार्य | 208.80000 | 139.20000 | 348.00000 |
| | | ई०सी०एल०–चितरा ओपेन कास्ट कोलियरी परियोजना के अन्तर्गत बाँस वृक्षारोपण, घुरन उन्मूलन, जल संचयन योजना में चेक डैम का निर्माण पथ–तट गैबियन वृक्षारोपण इत्यादि कार्य | 90.00000 | 60.00000 | 150.00000 |
| | | योग– | **298.80000** | **199.20000** | **498.00000** |
| 2 | वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा वन प्रमण्डल, सिमडेगा | आई०ओ०सी० पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाईपलाइन (अण्डरग्राउण्ड रामपुर से रांची) के अन्तर्गत वाटर होल का निर्माण, साल्ट लिक की व्यवस्था, मानव हाथी द्वन्द को कम करने के लिए प्रभावित गाँव में सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना, टार्च, जूट, किरासन तेल, लोहे की छड़, मोबिल, पटाखा इत्यादि का वितरण, वन्यप्राणियों की निगरानी एवं सतत् अनुश्रवण हेतु ट्रैक्टर का प्रावधान, प्रशिक्षण एवं जागरूकता संबंधी कार्य, प्रचार–प्रसार एवं वन महोत्सव इत्यादि कार्य | 3.36600 | 2.24400 | 5.61000 |
| | | रांची (बेड़ो) – धर्मजयगढ़ 765 के०भी० ट्रांसमिशन लाईन परियोजना के अन्तर्गत मानव–वन्यप्राणी संघर्ष को कम करने हेतु ग्रामों में वन्यप्राणी की निगरानी एवं सतत् अनुश्रवण हेतु ट्रैक्टर का प्रावधान, संयुक्त वन प्रबंधन समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण, गश्ती हेतु वाहन का क्रय एवं रख–रखाव, बाँस वृक्षारोपण, सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन इत्यादि कार्य | 26.69400 | 17.79600 | 44.49000 |
| | | योग– | **30.06000** | **20.04000** | **50.10000** |
| 3 | वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गुमला वन प्रमण्डल, गुमला | 132 के०भी० गुमला–सिमडेगा ट्रांसमिशन लाईन परियोजना के अन्तर्गत मानव–वन्यप्राणी संघर्ष को कम करने हेतु ग्रामों में सोलर लाईट की स्थापना, चेक डेम निर्माण, ग्राम वन प्रबंधन समितियों की सहायता करने हेतु संचार व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, वन्यप्राणी जागरूकता अभियान, मेडिकल कैम्प की व्यवस्था इत्यादि कार्य | 34.37580 | 22.91720 | 57.29300 |
| 4 | वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल, गिरिडीह | न्यू बी०जी० रेलवे लाईन (कोडरमा–गिरिडीह) परियोजना के अन्तर्गत ग्रामों में वन्यप्राणी पर्यावास का विकास, वन्यप्राणी प्रबंधन, वन्यप्राणी शिकार की रोकथाम, अग्नि सुरक्षा एवं सामाजिक–आर्थिक विकास इत्यादि कार्य। | 28.17540 | 18.78360 | 46.95900 |
| 5 | वन प्रमण्डल पदाधिकारी, दुमका वन प्रमण्डल, दुमका | जे०यू०एस०एन०एल० गोड्डा–दुमका 220 के०भी० डी०सी० ट्रांसमिशन लाईन परियोजना के अन्तर्गत जल संचयन संरचना का निर्माण, हाथी प्रभावित क्षेत्रों में सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना, होर्डिंग एवं साईनेज, वृक्षारोपण कार्य, सिल्विकल्चर ऑपरेशन योजना, अग्नि रेखा का अनुरक्षण, पथ–तट फायर ट्रेसिंग एवं फायर वाचर इत्यादि कार्य | 134.89282 | 89.92854 | 224.82136 |
| | | जगदीशपुर–हल्दिया–दुर्गापुर एल०पी०जी० पाईपलाईन पटना एवं मुजफ्फरपुर तक विस्तारीकरण परियोजना अन्तर्गत जल संचयन संरचना का निर्माण, हाथी प्रभावित क्षेत्रों में सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना, होर्डिंग एवं साईनेज, वृक्षारोपण कार्य, सिल्विकल्चर ऑपरेशन योजना इत्यादि कार्य | 183.87709 | 122.58473 | 306.46182 |
| | | योग | **318.76991** | **212.51327** | **531.28318** |
| | | कुल योग | **710.18114** | **473.45407** | **1,183.63518** |

07.09.2020

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
कैम्पा, झारखण्ड, राँची।

07/09

अनुलग्नक -2.

**वितीय वर्ष 2020-21 में आवंटित राशि की विवरणी :-**

मॉग सं० - 19 वनए पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

मुख्य शीर्ष-2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी & 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास & 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपन & 04 - एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना

| SI No | TREASURY | DDO CODE | DDO NAME | DDO DESG | 19S240604103040103 | 19S240604103040323 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | मजदूरी | आपूर्ति एवं सामग्री | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Deoghar | DGRFORE88 | Premjit Anand | Dfo Deo.For.Div.Deo. | ₹2,98,80,000.00 (42172) | ₹1,99,20,000.00 (42177) | ₹4,98,00,000.00 |
| 2 | Simdega | SDGFOR002 | Prawesh Agrawal | Divisional Forest Officer Simd | ₹30,06,000.00 (42173) | ₹20,04,000.00 (42178) | ₹50,10,000.00 |
| 3 | Gumla | GMLFOR001 | Srikant Ifs | D.F.O. Gumla | ₹34,37,580.00 (42174) | ₹22,91,720.00 (42179) | ₹57,29,300.00 |
| 4 | Giridih | GRDFOR003 | Shaba Alam Ansari | D.F.O. Giridih West For. Div. | ₹28,17,540.00 (42175) | ₹18,78,360.00 (42180) | ₹46,95,900.00 |
| 5 | Dumka | DMKFOR010 | Sourav Chandra | D.F.O.Dumka | ₹3,18,76,991.00 (42176) | ₹2,12,51,327.00 (42181) | ₹5,31,28,318.00 |
| | | | | | | | |

**कुल आवंटित राशि :- ₹11,83,63,518.00 (** ग्यारह करोड तिरयासी लाख तीरसठ हजार पांच सौ अठारह **) रूपये मात्र |**

**टिप्पणी :- (#) को आवंटन ऐक्सेस नंबर समझा जाए**

07.09.2020

(SANJAY SRIVASTAVA)
ADDI.PCCF.CAMPA JHARKHAND RANC

Additional Principal Chief Conservator of Forests
CAMPA, Jharkhand, Ranchi

07/09.

अनुलग्नक-3

# आवंटन आदेश

## झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है ।

पत्र संख्या - 19M04CAMPA20-21/351 दिनांक - 07-Sep-2020

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S 19 240604103040103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास<br>103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण<br>04 - एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना<br>01 - वेतन एवं भत्ते<br>03 - मजदूरी<br>**State Scheme**<br>State Scheme : INTEGRATED WILDLIFE MANAGEMENT PLAN(1769)<br>Centeral Scheme : NA | 42172 | DGRFORE88<br>PREMJIT ANAND<br>DFO<br>DEO.FOR.DIV.DEO. | 29,880,000.00<br>रुपये दो करोड अठानवे लाख अस्सी हजार |
| 2 | S 19 240604103040103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास<br>103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण<br>04 - एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना<br>01 - वेतन एवं भत्ते<br>03 - मजदूरी<br>**State Scheme**<br>State Scheme : INTEGRATED WILDLIFE MANAGEMENT PLAN(1769)<br>Centeral Scheme : NA | 42173 | SDGFOR002<br>PRAWESH AGRAWAL<br>DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD | 3,006,000.00<br>रुपये तीस लाख छ: हजार |

योग: 32,886,000.00

क्रमिक योग: रुपये तीन करोड अठाइस लाख छियासी हजार

07.09.2020

(SANJAY SRIVASTAVA)

ADDl.PCCF CAMPA JHARKHAND

Additional Principal Chief Conservator of Forests
CAMPA, Jharkhand, Ranchi
07/09



Run Date: 7/9/2020

पत्र संख्या - 19M04CAMPA20-21/351

दिनांक - 07-Sep-2020

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्वोस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---|---|---|---|---|
| 3 | S 19 240604103040103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास<br>103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण<br>04 - एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना<br>01 - वेतन एवं भत्ते<br>03 - मजदूरी<br>**State Scheme**<br>State Scheme : INTEGRATED WILDLIFE MANAGEMENT PLAN(1769)<br>Centeral Scheme : NA | 42174 | GMLFOR001<br>SRIKANT IFS<br>D.F.O. GUMLA | 3,437,580.00<br>रुपये चौंतीस लाख सैंतीस हजार पाँच सौ अस्सी |
| 4 | S 19 240604103040103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास<br>103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण<br>04 - एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना<br>01 - वेतन एवं भत्ते<br>03 - मजदूरी<br>**State Scheme**<br>State Scheme : INTEGRATED WILDLIFE MANAGEMENT PLAN(1769)<br>Centeral Scheme : NA | 42175 | GRDFOR003<br>SHABA ALAM ANSARI<br>D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV. | 2,817,540.00<br>रुपये अट्ठाइस लाख स त्र ह हजार पाँच सौ चालीस |
| 5 | S 19 240604103040103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास<br>103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण<br>04 - एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना<br>01 - वेतन एवं भत्ते<br>03 - मजदूरी<br>**State Scheme**<br>State Scheme : INTEGRATED WILDLIFE MANAGEMENT PLAN(1769)<br>Centeral Scheme : NA | 42176 | DMKFOR010<br>SOURAV CHANDRA<br>D.F.O.DUMKA | 31,876,991.00<br>रुपये तीन करोड़ अठारह लाख छिहत्तर हजार नौ सौ इकानबे |

योग: 38,132,111.00

क्रमिक योग: रुपये सात करोड़ दस लाख अठारह हजार एक सौ ग्यारह 71,018,111.00

07.09.2020

(SANJAY SRIVASTAVA)

ADDL PCCF CAMPA JHARKHAND

Additional Principal Chief Conservator of Forests
CAMPA, Jharkhand, Ranchi



47.9 ... RANC

Print Date: 7/9/2020

पत्र संख्या - 19M04CAMPA20-21/351 दिनांक - 07-Sep-2020

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---|---|---|---|---|
| 6 | S 19 240604103040323<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास<br>103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण<br>04 - एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री<br>**State Scheme**<br>State Scheme : INTEGRATED WILDLIFE MANAGEMENT PLAN(1769)<br>Centeral Scheme : NA | 42177 | DGRFORE88<br>PREMJIT ANAND<br>DFO<br>DEO.FOR.DIV.DEO. | 19,920,000.00<br>रुपये एक करोड निन्यानवे लाख बीस हजार |
| 7 | S 19 240604103040323<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास<br>103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण<br>04 - एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री<br>**State Scheme**<br>State Scheme : INTEGRATED WILDLIFE MANAGEMENT PLAN(1769)<br>Centeral Scheme : NA | 42178 | SDGFOR002<br>PRAWESH AGRAWAL<br>DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD | 2,004,000.00<br>रुपये बीस लाख चार हजार |
| 8 | S 19 240604103040323<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास<br>103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण<br>04 - एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री<br>**State Scheme**<br>State Scheme : INTEGRATED WILDLIFE MANAGEMENT PLAN(1769)<br>Centeral Scheme : NA | 42179 | GMLFOR001<br>SRIKANT IFS<br>D.F.O. GUMLA | 2,291,720.00<br>रुपये बाइस लाख इक्यानवे हजार सात सौ बीस |

योग: 24,215,720.00

क्रमिक योग: रुपये नौ करोड बावन लाख तैंतीस हजार आठ सौ इकतीस 95,233,831.00

07.09.2020

(SANJAY SRIVASTAVA)

ADDl.PCCF CAMPA JHARKHAND

Additional Principal Chief Conservator of Forests
CAMPA, Jharkhand, Ranchi

07/09

पत्र संख्या - 19M04CAMPA20-21/351 दिनांक - 07-Sep-2020

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---|---|---|---|---|
| 9 | S 19 240604103040323<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास<br>103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण<br>04 - एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री<br>**State Scheme**<br>State Scheme : INTEGRATED WILDLIFE MANAGEMENT PLAN(1769)<br>Centeral Scheme : NA | 42180 | GRDFOR003<br>SHABA ALAM ANSARI<br>D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV. | 1,878,360.00<br>रुपये अठारह लाख अठहत्तर हजार तीन सौ साठ |
| 10 | S 19 240604103040323<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास<br>103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण<br>04 - एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री<br>**State Scheme**<br>State Scheme : INTEGRATED WILDLIFE MANAGEMENT PLAN(1769)<br>Centeral Scheme : NA | 42181 | DMKFOR010<br>SOURAV CHANDRA<br>D.F.O.DUMKA | 21,251,327.00<br>रुपये दो करोड़ बारह लाख इक्यावन हजार तीन सौ सत्ताईस |

योग: 23,129,687.00

क्रमिक योग: रुपये ग्यारह करोड़ तिरासी लाख तिरसठ हजार पाँच सौ अठारह 118,363,518.00

07.09.2020

(SANJAY SRIVASTAVA)

ADDl PCCF CAMPA JHARKHAND

Additional Principal Chief Conservator of Forest
CAMPA, Jharkhand, Ranchi

 47.… RANC Run Date: 7/9/2020